न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0– 321 सन् 2004

भिखारी ठाकुर व अन्य.....वादीगण

बनाम

सुदर्शन ठाकुर व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 09.04.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.01.2021 पर विगत तिथि को सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु नियत हैं। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में अभिलेख के अवलोकन से पता चला कि वादी को खतियान का मूलप्रति दाखिल करना छूट गया है। आज वादी खतियान का मूलप्रति दाखिल कर रहा है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल खतियान की मूलप्रति को सबूत के रूप में ग्राह्य करने का अनुमति दी जाए।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से दिनांक– 20.02.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 का कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में वादी का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है। वादी को नियमतः खतियान की मूलप्रति पूर्व में ही दाखिल की जानी चाहिए थी। वादी के ओर से काफी विलंब से आवेदन दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि खतियान किस मौजा, खाता, खेसरा का दाखिल किया है। वादी के द्वारा मूलप्रति दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु नियत चला आ रहा है। वादी की ओर से आवेदन में यह कथन है कि उनके द्वारा मूल खतियान दाखिल किया गया है, जबकि वादी की ओर से दिनांक 16.01.2021 को लिस्ट ऑफ डक्यूमेंटस के साथ खतियान की अभिप्रमाणीत प्रति दाखिल किया गया है। अतः वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे लिस्ट ऑफ डक्यूमेंटस में सुधार करते हुए नियमानुकूल आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 02.06.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।